सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत एवं नागर निकाय निर्वाचन में राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों तथा शासकीय कर्मियों के मार्गदर्शन हेतु

आदर्श आचरण संहिता

2014

वोट हमारा है अधिकार, कभी न करें इसे बेकार।

''भारत का संविधान'' के 73वें व 74वें, संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों एवं नागर निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक पॉच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधनों द्वारा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडी जाति के अलावा महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है जो पंचायतों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243–ट तथा 243–य–क के अन्तर्गत पंचायतों एवं नागर निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित कराने हेतु ''आचरण संहिता'' की परम आवश्यकता है, ताकि निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे। अतः राज्य की पंचायतों व नागर निकायों के निर्वाचनों को पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक आचरण संहिता तैयार की गई है जो कि इन निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।

आदर्श आचरण संहिता के अधिकांश प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1980 ई0 में पूर्व से ही निहित है, अर्थात इस संहिता के उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है इसके अलावा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

अतः संविधान के अनुच्छेद 243–ट, 243–य–क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निम्नलिखित ''आदर्श आचरण संहिता'' राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू करने की उद्घोषणा करता है।

1– <u>सामान्य आचरण संहिता</u> :–

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो, या उनमें तनाव की मनःस्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो।

क्रमशः.....2

2. मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लेना चाहिए।

3. पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरूद्वारा का उपयोग निर्वाचन अभियानों में नहीं करना चाहिए।

4. किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अन्तर्गत ''भ्रष्ट आचरण'' और अपराध माने गये है। जैसे :–

(क) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना।

(ख) किसी चुनाव सभा में गडबड़ी करना या करवाना।

(ग) मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा–धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करने का प्रयास करना।

(घ) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात गलत नाम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिये किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना।

(ड) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या मतदान केन्द्र से जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना।

(च) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना।

(छ) मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना।

(ज) मतदान केन्द्रों में कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना।

(झ) आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या उनमें अनाधिकृत अवैध मतपत्रों को शामिल करना।

5. मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अन्तिम समय तक उम्मीदवार न तो मादक वस्तुयें खरीदें, न ही वह उन्हें किसी व्यक्ति को सेवन या वितरण के लिये दें। इतना ही नहीं, वह अपने चुनाव कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी ऐसा न करने दें।

क्रमशः.....3

6. निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों के साथ प्रत्येक उम्मीदवार व उसके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा पूरा सहयोग करना चाहिए, प्रत्येक उम्मीदवार की यह नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है।

7. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियॉ सादे कागज पर होनी चाहिये, जिनमें मतदाताओं का नाम, उनके माता/पिता का नाम, ग्राम, मतदान केन्द्र क्रमॉक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमॉक के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा होना चाहिये।

8. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया–कलापों से कोई सम्बन्ध नहीं हो, और न ही ऐसे आरोप लगाने चाहिये जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

9. किसी भी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों का पुतले लेकर चलने, उनके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

10. किसी भी उम्मीदवार को सत्ताधारी दल से चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य का, किसी भी तरह से अपने चुनाव प्रचार तथा अपने पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये सहायता नहीं लेनी चाहिये।

11. शासन के विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिये।

2. <u>चुनाव प्रचार</u> :–

1. प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिये कि वह अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी सरकारी भवन, कार्यालय एवं किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लगवाने तथा संदेश या नारे लिखने जैसे काम उस सम्पत्ति के स्वामी तथा उसमें अध्यासित व्यक्ति की अनुमति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं को ऐसा करने दें।

2. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टरों को नहीं हटाना चाहिये।

3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके या उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न न की जाय। उन्हें न तो अपने समर्थन में निकाले जुलूस, उस रास्ते से या स्थान में ले जाने और आयोजित करने चाहिए, जहां दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है।

क्रमशः.....4

3. सभायें एवं जुलूस :–

1. सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजनार्थ प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से ही उपयुक्त समय पर दे देनी चाहिये ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर सकें।

2. किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिये समस्त अधिकारियों से पूर्वानुमति ली जानी चाहिये।

3. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जिस स्थान पर उसका या उसके समर्थकों का, उसकी उम्मीदवारी के पक्ष में सभा या रैली करने का प्रस्ताव है, वहॉ कोई निषेधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो शासन अथवा न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यदि ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका शक्ति से पालन किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से छूट का प्रावधान हो तो उसके लिये समय से आवेदन कर छूट की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिये।

4. उम्मीदवार को चाहिये कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जायें, जिन मार्गों के लिये कि उसे पूर्वानुमति मिली हो और उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये।

5. उम्मीदवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसके जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं या रैलियों के कारण यातायात में कोई बाधा न पड़े। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये।

6. उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके जुलूसों और सभाओं या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है।

7. यदि किसी प्रस्तावित सभा या रैली के सम्बन्धों में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो उम्मीदवार को सम्बन्धित जिलाधिकारी से पर्याप्त समय पूर्व आवेदन के द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिये।

8. उम्मीदवार और उसकी सभा या रैली के आयोजकों का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे सभा या रैली में विघ्न डालने वालों से या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने के प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मदद लें, न कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने लगें।

क्रमशः.....5

4. मतदान दिवस पर उम्मीदवार से अपेक्षा :–

1. निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान शान्ति पूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो और मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी, बाधा एवं दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान–पत्र समय से दें।

3. इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को दी गई पहचान पर्चीयॉ सादे कागज पर हों और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम न हो।

4. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविरों के आस–पास अनावश्यक भीड न होने दें ताकि उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आपस में मुठभेड या तनाव होने की स्थिति न उत्पन्न हो।

5. यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार के उक्त शिविर साधारण हो और उन पर किसी भी उम्मीदवार को पक्ष या विपक्ष में स्पष्ट अथवा सांकेतिक चुनाव प्रचार न हो और उनमें कोई खाद्य एवं पेय पदार्थ न दिये जायें और न ही वहां पर भीड़ लगने दी जाय।

6. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगायी जाने वाले पाबन्दियों का पालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

7. मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई दिये गये अनुमति–पत्र (पास) के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

5. सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण एवं व्यवहार :–

1. सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को यह शिकायत का मौका न मिले कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है,

और विशेष रूप से–

(क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार कार्य से नहीं जोडना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय तंत्र अथवा कर्मियों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिये।

क्रमशः.....6

(ख) सरकारी विमानों, गाडियों सहित सरकारी और अर्द्धसरकारी वाहनों, तंत्र और कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित में बढावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

2. सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभायें आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिये हैलीपैड़ों के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमायें। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाय, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

6. <u>शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिये</u> :–

1. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिये। यह आवश्यक है कि वह किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिये तथा उन्हें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिये जिससे कि ऐसी आशंका हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद/विरोध कर रहे हैं।

2. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई भी मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले, तो किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिये। यदि कोई निमंत्रण–पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिये।

3. साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा आयोजित की जाती है उसे चुनाव सम्बन्धी सभा मानना चाहिये और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिये। अतः चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में असामान्य निर्माण या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये।

4. उन अधिकारियों को छोडकर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिये या सुरक्षा के लिये तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिये।

5. यदि कोई मंत्री चुनाव के काम के लिये चुनाव क्षेत्र में जाये तो शासकीय कर्मचारियों को उनके साथ नहीं जाना चाहिये।

6. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवार या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। यदि एक ही दिन में कोई उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं, तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिये, जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया हो।

क्रमशः.....7

7. निर्वाचन की घोषण के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक तक :–

(क) नगर पालिकाओं/निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपक्रमों, प्राधिकरणों/निकायों, जिला पंचायतों एवं अन्य सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति मा0 मंत्रीगणों, सांसदों एवं विधान मण्डल सदस्यों, पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिये। मा0 मंत्रीगण चुनाव अवधि तक शासकीय साधनों से अशासकीय यात्रायें न करें। व्यक्तिगत यात्राओं के लिये शासकीय साधनों एवं सरकारी तंत्र का प्रयोग ना किया जाये और न ही सरकारी तंत्र से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिये।

(ख) मा0 मंत्रीगण, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जन–सम्पर्क राशि या विवेकाधीन राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिये।

निर्वाचन प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जाय, न तो क्रियान्वित किये जाय और न ही उनकी घोषणा की जानी चाहिये। अर्थात यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी नये निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जायेंगे और न ही उक्तार्थ धनराशि स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा ऐसी निविदायें जो आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के पूर्व आमंत्रित की जा चुकी हो उन पर भी अग्रेत्तर कोई भी कार्यवाही/निर्णय आदर्श आचार संहित के निष्प्रभावी होने के बाद ही की जाय (निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना से पूर्व तक जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके तथा निर्माणाधीन थे, उन कार्यों पर रोक नहीं होगी। अपितु नये निर्माण कार्यों जिनसे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं उन पर पूर्णतः रोक रहेगी) ऐसे सततः चलने वाले विकास/निर्माण कार्य जो वर्ष–प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य सरकार की आय–व्ययक में पहले से प्रावधानित हो उन पर कोई रोक नहीं होगी।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावी क्षेत्रों की जनता की सुरक्षा एवं सहायता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों में शिथिलीकरण किया जा सकता है।

नई योजनाओं की शुरूआत, शिलान्यास, उद्घाटन आदि नहीं किये जायेंगे। तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मतदाता पर प्रभाव पडने की आशंका हो।

(ग) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों या संस्थाओं द्वारा ऐसे विज्ञापन समाचार–पत्रों अथवा

क्रमशः.....8

अन्य प्रचार माध्यमों से नहीं दिये जायं जो सत्तारूढ दल के शासन अथवा विभाग या संस्थाओं की उल्लेखनीय प्रगति, भावी योजना या आश्वासनों को रेखांकित करते हो।

(घ) निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू रहते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों/भर्ती आदि नहीं की जायेगी। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन से सम्बन्धित आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 एवं पी0पी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू रहेगा।

उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक निम्न कार्यों के क्रियान्वयन पर भी प्रभावी रोक रहेगी :–

(I) आग्नेयास्त्रों के एवं उनके व्यवसायों हेतु नये लाईसेंस जारी किया जाना।

(II) पंचायतीराज एवं नागर स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा भूमि, दुकान, भवन आदि के आवंटन पट्टे की कार्यवाही किया जाना।

(III) पंचायत एवं नागर निकायों की चल–अचल संपत्ति का स्थानान्तरण किया जाना।

(IV) पंचायत एवं नागर स्थानीय निकायों संस्थाओं से सम्बन्धित मामलों में नीलामी, ठेके, तहबाजारी की कार्यवाही किया जाना।

(V) पंचायत एवं नागर निकाय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों के लाईसेंस प्रदान करना।

(VI) पंचायत एवं नागर निकाय द्वारा नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं उनके लिये धनावंटन तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।

निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को निर्भीकता पूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये शासन/प्रशासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय :–

(अ) निर्वाचन अवधि के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की लाईसेंसधारियों के आग्नेयास्त्रों जमा करायें जायें तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जायें।

(ब) निर्वाचन कार्यों में गडबडी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

(स) मतदान केन्द्रों/स्थलों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी

क्रमशः.....9

जाय। ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूथ कैप्चरिंग की घटनायें घटित न हो तथा दलित/निर्बल वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाय।

(द) मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय।

(य) मतदान एवं मतगणना की तिथि पर निर्बाध रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

(र) मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय।

(ल) मतदान की तिथि पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाय।

उक्त के आलोक में यदि आदर्श आचरण संहिता का कोई उल्लघंन प्रकाश में आये तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय।

आदर्श आचरण संहिता के तहत उल्लिखित व्यवस्थाओं से अवगत होते हुये सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

ह0 सुबर्द्धन
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

मतदान करके देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड

''निर्वाचन भवन'', लाडपुर, मसूरी बाई पास, रिंग रोड,

देहरादून– 248008